

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI, OLD COURT BUILDING
PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001.

F. No. 47/AR/BKG/RCS/255/2025/480

Dated : 26/03/2025

To,

The Deputy Secretary (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub:- Forwarding of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 279.

Sir,

Please find enclosed herewith 100 copies of the reply given to Unstarred Question No. 279, due for answer on 28.03.2025, along soft copy/ pen drive for your necessary action.

The reply has been duly approved by the Hon'ble Minister of Cooperation, Delhi Government.

(SURINDER NARANG)
ASSISTANT REGISTRAR
(BANKING BRANCH)

Encls:

1. 100 copies of the answer.
2. Pen drive containing soft copy of the answer.

F. No. 47/AR/BKG/RCS/255/2025/

Dated :

Copy to:-

- 1) Secretary to Hon'ble Minister of Cooperation.
- 2) PPS to Pr. Secretary Cooperation.

(SURINDER NARANG)
ASSISTANT REGISTRAR

विभाग का नाम :- रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी
विभाग का पता:- पुराना कोर्ट बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 279

दिनांक:- 28.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम:- सुश्री शिखा रॉय

क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर										
(क) विगत पाँच वर्षों में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को हुए नुकसान का विवरण:-	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से विगत पांच वर्षों में हुए हानि/लाभ का विवरण प्राप्त किया है जो कि निम्न प्रकार है:- <table><tr><th>31.03.2020 (Audited)</th><th>31.03.2021 (Audited)</th><th>31.03.2022 (Audited)</th><th>31.03.2023 (Audited)</th><th>31.03.2024 (Audited)</th></tr><tr><td>128.86 लाख (लाभ)</td><td>(-)130.10 लाख (हानि)</td><td>(-)191.82 लाख (हानि)</td><td>(-)94.98 लाख (हानि)</td><td>446.44 लाख (लाभ)</td></tr></table>	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	128.86 लाख (लाभ)	(-)130.10 लाख (हानि)	(-)191.82 लाख (हानि)	(-)94.98 लाख (हानि)	446.44 लाख (लाभ)
31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)							
128.86 लाख (लाभ)	(-)130.10 लाख (हानि)	(-)191.82 लाख (हानि)	(-)94.98 लाख (हानि)	446.44 लाख (लाभ)							
(ख) क्या इस नुकसान को वसूल करने हेतु सरकार की कोई योजना है;	दिल्ली सहकारी अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सहकारी बैंक को अपने परिचलन के दौरान हुए नुकसान की वसूली करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी सहकारी बैंक का वित्तीय मामलों का नियामक है।										
(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण;											
(घ) क्या सहकारी बैंक को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार ने किसी कमेटी का गठन किया है; और	यदि किसी सहकारी बैंक को अपने परिचालन में हानि होती है, तो इस अवस्था में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी समिति के गठन करने का कोई प्रावधान नहीं है।										
(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण और यदि नहीं, तो उसके कारण?											


A. K. SINGH, IAS
Registrar Co-operative Societies
Govt. of N.C.T. of Delhi
Parliament Street, New Delhi-110001